न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 03/2020

अनवान :–

1. फैज मोहम्मदद पुत्र किमा जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्राथी

बनाम्

1. गुडडी पुत्री रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मदनसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिह पुत्र रमासिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शेरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिह पुत्र बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामुकंवर पत्नी बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. विक्रम पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. लक्ष्मणसिह पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. भंवरी पत्नी हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

14. गुडडी पुत्री इब्राहिम उर्फ इबला जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. नेक मोहम्मद पुत्र किमा जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायल

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा, अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 12/03/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 21/20की कुल 4.5540हैक भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 14,15 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/64 की कुल 8.0960हैक भूमि गैरसायलान न0 1 ता 12 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

सायल एव तरतीबी गैरसायल अपने गांव से चलकर कटानशुद्वा रास्ता से पक्की सडक से होते हुए असल गैरसायलान के खेत प0न0 316/401(29) के किला न0 16/2 मिन पूर्व 0.0130 , व 25/2 मिन पूर्व 0.0130हैक में से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है इसी से अपने खेत में आवागमन करते है इसके आलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

सायल एवं गैरसायल न0 14 ,15 को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नही है सायल उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है रास्ते के बदले में जितनी भूमि आती है वह देने का तेयार है।

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकार करवा ले तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अत सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/64 के प0न0 316/401(29) के किला न0 16/2 मिन पूर्व 0.0130 ,25/2 मिन पूर्व 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल जरिये को रजिस्ट्रर नोटिस/सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की

गई तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 21/20की कुल 4.5540हैक्ट भूमि सायल व तरतीबी गैरसायलान संख्या 14,15 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/64 की कुल 8.0960हैक्ट भूमि गैरसायलान न0 1 ता 12 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

सायल एव तरतीबी गैरसायल अपने गांव से चलकर कटानशुद्वा रास्ता से पक्की सडक से होते हुए असल गैरसायलान के खेत प0न0 316/401(29) के किला न0 16/2 मिन पूर्व 0.0130 , व 25/2 मिन पूर्व 0.0130हैक्ट में से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है इसी से अपने खेत में आवागमन करते है इसके आलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

सायल एवं गैरसायल न0 14 ,15 को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नही है सायल उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करवाना चाहते है रास्ते के बदले में जितनी भूमि आती है वह देने का तेयार है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित है मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायल एवं गैरसायल एवं गैरसायल न0 1 ता 12 राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है

सायल का कथन है कि उसकी खातेदार में आने जाने के लिये गैरसायलान के खेत प0न0 316/401(29) के किला न0 16/2 मिन पूर्व 0.0130 , व 25/2 मिन पूर्व 0.0130हैक्ट में से होकर अपने खेत में प्रवेश करते है इसी से अपने खेत में आवागमन करते है इसके आलावा अन्य कोई रास्ता सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है।

सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता दो किलो में चाहा गया है किन्तु तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये किला न0 23 में से रास्ता दिया जा सकता है जिससे एक किला दुरी में रास्ता स्वीकार करना होगा एवं स्वीकृत शुद्वा रास्ता से दुरी भी कम होगी सायल ने इसके लिये सहमति भी जाहिर जाकर निवेदन किया की उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता चाहीये जो प्रार्थी के द्वारा चाहा गया दिया जावे या तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अनुसार दोनो में ही समहत है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है गैरसायल को तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण मौन स्वीकृति मानी जा सकती है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94/64 के प0न0 316/401 के किला न0 23 मिन में पश्चिमी तरफ 0.0130हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल एवं तरतीबी गैरसयाल न0 14 ,15 की भूमि चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 316/401(29) किला न0 17 के पूर्वी दिशा में 0.0130हैक्ट भूमि गैरसायल न0 1 ता 12 को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

..2

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व / 2020 /　　　　　　　　　　दिनांक

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 03 सन 2020 निर्णय दिनांक

अनवान :–

1. फैज मोहम्मदद पुत्र किमा जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्राथी

बनाम्

1. गुडडी पुत्री रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. मदनसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
3. महेन्द्र सिह पुत्र रमासिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
5. शेरसिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
6. रविन्द्र सिह पुत्र बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
7. रामुकंवर पत्नी बगडावत सिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
8. सरोज पत्नी प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
9. विक्रम पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
10. लक्ष्मणसिह पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
11. भंवरी पत्नी हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
12. रतना पुत्री हरू जाति राजपूत निवासी जसाना तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

असल प्रतिवादी

14. गुडडी पुत्री इब्राहिम उर्फ इबला जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।
15. नेक मोहम्मद पुत्र किमा जाति मुसलमान निवासी जसाना तहसील नोहर।

तरतीबीगैरसायल

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 94 / 64 के प0न0 316 / 401 के किला न0 23 मिन में पश्चिमी तरफ 0.0130हैक रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल एवं तरतीबी गैरसयाल न0 14 ,15 की भूमि चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 316 / 401(29) किला न0 17 के पूर्वी दिशा में 0.0130हैक भूमि गैरसायल न0 1 ता 12 को उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा के आदेश हुए है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर